

इजलास बुनापा गया।

उप सख्त अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)

पुनश्चात् - पत्रावली में रुक रुक कर
तीन बार आवाज फिलाने गई। न तो
परील उफास्थित है न ही वादी। ऐसी
स्थिति में न्यायालय उम्दर वाद को आगे
जोरकार रखना उचित नहीं समझता है।
अतः पत्रावली भदम एजरी अदम पैरवी
में श्वारिज की जाती है। पत्रावली केसल
शुमार होकर नम्बर ले कम की जावे।
निर्णय मात्र दिनांक 29.08.2022 को करे
इजलास बुनापा गया।